

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/ 4044 जयपुर, दिनांक: 26.10.17

:: आ दे रा ::

राजस्थान अधिनस्थ सेवा के श्री राजाराम मीना, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से दिनांक 01.11.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्री मीना की जन्मतिथि 11.10.1975 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 19.03.1997 है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री राजाराम मीना, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर को दिनांक 01.11.2017 से स्वेच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर जारी की गई है।

श्री राजाराम मीना, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,

Yom

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को उनके पत्र क्रमांक 8464-67 दिनांक 04.10.2017 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पं.स. उमरैण (अलवर)
4. श्री राजाराम मीना, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

Yom

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त